न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 01/22(225)

आरसीएमएस संख्या – 2022/13

उनवान

1. किन्नों पुत्रों मूली जाति मीना निवासी उच्चैन तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. देवीसिंह पुत्र मन्नू } जाति मीणा निवासी उच्चैन तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. मन्नू पुत्र मूलो }
3. तहसीलदार उच्चैन तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
4. राव रजिस्ट्रार उच्चैन जिला भरतपुर।

.....असल रेस्पोडेन्टन

5. जग्गो पुत्री मूली
6. उगन्ती पत्नी गोपाल } जाति मीना निवासी उच्चैन तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
7. जीतेन्द्र पुत्र गोपाल
8. सुनी पुत्र गोपाल

.....तरतीवी रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन दिनांक 30.06.2017 प्रकरण संख्या 49/17 उनवान देवीसिंह बनात मन्नू आदि।

उपस्थित :–

1. श्री पंकज कुमार अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री गंगाराम शर्मा अभिभाषक रैस्पो0 संख्या एक।
3. श्री गोविन्द सिंह डागुर अभिभाषक रैस्पो0।

निर्णय **दिनांक :–18.03.2024**

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर, उच्चैन के आदेश दिनांक 30.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पों0 सं. 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलान्ट व शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी किता 12 कुल रकवा 38.14 बीघा वाके ग्राम तुहियापटटी उच्चैन उप तहसील उच्चैन तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है। जो प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त आराजी है। जिसमें पक्षकारान राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। विवादित आराजी पैतृक आराजी होने से प्रार्थी रैस्पो0 संख्या

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

01 के उसमें जन्म से ही खातेदारी अधिकार निहित हैं। परन्तु राजस्व अभिलेख में विवादित आराजी के इन्द्राज अकेले अप्रार्थी/रैस्पो0 संख्या 02 मन्नू के नाम होने के कारण वह प्रार्थी/रैस्पो0 संख्या 01 के खातेदारी अधिकारो से इंकार करते हैं व विवादित आराजी को दीगर व्यक्तियों के लिये रहन, वय, मुंतकिल करने की धमकी देते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 व तहत पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश देने से पूर्व प्रार्थना पत्र का अवलोकन नहीं किया। वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने दावे व प्रार्थना पत्र 212 में अपीलान्ट से कोई दादरसी नहीं चाही बल्कि मुख्य दादरसी अपने पिता प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से ही चाही है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की है। स्थगन आदेश जारी होने के बाद पटवारी हल्का ने पूरे रकवे पर स्थगन का नोट लगा दिया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन वादी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 के विवादित आराजी में बनने वाले नोशनल शेयर तक ही जारी किया है। अंत में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2017 में इस प्रकार संशोधन किया जावे कि अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट प्रभावी नहीं है।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट ने अपील में स्वयं इस आशय का संशोधन चाहा है कि अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट प्रभावी नहीं हैं। जबकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश भी इसी आशय का है। यदि जमाबन्दी में पूरे रकवे पर स्थगन का नोट लगा है तो अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय अथवा तहसील कार्यालय में चाराजोही करनी चाहिये थी। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश में हस्तगत अपील के माध्यम से कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एक अंतरिम आदेश है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. रैस्पों0 संख्या 01 के विद्वान अभिभाषक अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि पक्षकारान मीणा समुदाय के व्यक्ति हैं एवं मीणा समुदाय में विधि अनुसार पुत्रियो को पैतृक सम्पत्ति में कोई हित निहित नहीं होते हैं। अतः अपीलाण्ट की अपील पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2023(1) पेज 137, 2015(1) पेज 351, 2014(1) पेज 409, 692, 2021(1) पेज 705, 2016(2) पेज 1084, 2015(2) पेज 985, 2016(2) पेज 946, 2014(2) पेज 901, 2016(2) पेज 1437, आरबीजे

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2007 पेज 114, 2016 पेज 468, आरआरडी 2020 पेज 158, 1993 पेज 206, 1981 पेज 512, डीएनजे 2019 पेज 707, 2008 पेज 875, 2020 पेज 272 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील में अपीलाण्ट की आपत्ति का सार यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 30.06.2017 केवल विवादित आराजी में वादी रैस्पो0 के बनने वाले नोशनल शेयर तक ही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में सम्पूर्ण पर स्थगन का नोट लगा दिया है। क्योंकि देवी सिंह को अपने पिता के हिस्से की आराजी में से ही हिस्सा मिलेगा। अपीलाण्ट विवादित आराजी में सहखातेदार हैं। इस प्रकार अपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश से परिवेदित हैं। हमने मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट अंकित है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा, देवी सिंह के विवादित आराजी में बनने वाले नोशनल शेयर तक रहन, वय, मुंतकिल नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश सुस्पष्ट है एवं विवादित आराजी में देवी सिंह के बनने वाले नोशनल शेयर तक ही प्रभावी है। अतः अन्य सहखातेदार अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार परिवेदित हो सकते हैं। यदि स्थगन का नोट सम्पूर्ण पर लगा है तो अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय अथवा तहसीलदार के कार्यालय में चाराजोही को स्वतंत्र हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई संशोधन किया जाना उचित नहीं पाते हैं। क्योंकि अपीलाधीन आदेश विवादित आराजी में देवी सिंह के बनने वाले नोशनल शेयर तक ही प्रभावी है अन्य सहखातेदार पर प्रभावी नहीं है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट में कोई बल नहीं पाते हैं एवं खारिज योग्य समझते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के आदेश दिनांक 30.06.2017 यथावत रखें जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबंध अधिकार पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर